

न्यायालय : प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी : सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक – 10 A/2020

संस्थित दिनांक – 02.12.2020

पंजीयन दिनांक – 15.12.2020

भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड बालको नगर कोरबा ,  
तहसील व जिला कोरबा (छ०ग०) (कंपनी अधिनियम के अंतर्गत  
पंजीकृत लिमिटेड कंपनी) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
बालको के मुख्तयार आम अवतार सिंह पिता श्री सुखसिंह , उम्र  
लगभग- 41 वर्ष, महाप्रबंधक भारत एल्युमीनियम कंपनी  
लिमिटेड बालको नगर कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०) ----- वादी

“ विरुद्ध ”

बंशीलाल स्वर्णकार, उम्र लगभग 64 वर्ष, पिता- श्री जगन्नाथ  
प्रसाद, निवासी- शांतिनगर बालको, तहसील व जिला कोरबा  
(छ०ग०) ----- प्रतिवादी

---

वादी द्वारा श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता ।  
प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय ।

---

--:: निर्णय ::--

(आज दिनांक 28 अगस्त, 2023 को घोषित)

- 1- वादी ने यह व्यवहार वाद घोषणा, व्यादेश तथा बेदखली और कब्जा बाबत्  
प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

2- वादी का अभिवचन इस प्रकार है, कि वादी भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड नाम से भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत लिमिटेड कंपनी होकर, एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला उद्योग है। यह वाद कंपनी की ओर से कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी दिनांक 18-02-2020 के अनुसार नियुक्त मुख्तयार आम की तरफ से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित कर वादी की हैसियत से प्रस्तुत है। वाद भूमि और भवन जो कि ग्राम रिसदा (शांति नगर मोहल्ला), प०ह०नं० 10, रा०नि०मं० कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ०ग०) के खसरा नंबर 322/9 एवं 322/11 कुल रकबा 0.009 हे०/0.02 1/4 एकड़ पर स्थित है, के संबंध में यह वाद प्रस्तुत है। वाद भूमि एवं भवन का नजरी नक्शा सूची "अ" अनुसार पेश है, जो वादपत्र का अंग है।

3- वादी का आगे अभिवचन है किवादी कंपनी "भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड" एल्युमीनियम उत्पादन का एक कारखाना है। यह भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर, औद्योगिक ईकाई था। इसके 51% शेयर को भारत सरकार ने "स्टार लाईट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड" के पास जिसे "वेदांता लिमिटेड" के नाम से जाना जाता है, विक्रय कर दिया है। भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के पास शेष 49% प्रतिशत शेयर कंपनी में मौजूद है। वादी कंपनी का प्रबंधकीय

अधिकार "वेदांता लिमिटेड" में निहित है। वादी कंपनी द्वारा एल्युमिनियम प्लांट के अलावा 1200 मेगावाट का एक बिजली उत्पादन का कारखाना भी बालको प्लांट में स्थापित किया गया है। पॉवर प्लांट और संयंत्र के उपयोग के लिए विद्युत का उत्पादन विद्युत प्लांट में किया जाता है। इस पॉवर प्लांट और संयंत्र के लिए "कूलिंग टावर" की स्थापना किया जाना था। कूलिंग टावर निर्माण में शांतिनगर क्षेत्र के लोगों ने आपत्ति की थी। वादी और शांतिनगर के लोगों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा द्वारा पत्र दिनांक 22-11-2012 के साथ संलग्न सूची अनुसार प्रभावित 86 परिवार के लोगों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गयी थी। उक्त पत्र एवं सूची अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा द्वारा वार्ता आयोजित करने के पूर्व वादी को दी गयी थी।

- 4- वादी का आगे अभिवचन है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा द्वारा तैयार सूचीबद्ध 86 परिवारों के साथ एक त्रिपक्षीय वार्ता अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा ने आयोजित की थी। इस वार्ता का निष्कर्ष पत्र क्रमांक/अ०वि०अ०/वा-2/2013/5114 कोरबा, दिनांक 24-09-2013 द्वारा सूचित करते हुए वादी कंपनी में सेवारत तत्कालीन परियोजना प्रमुख वार्ता प्रतिनिधि को संबोधित करते

हुए वादी कंपनी को यह निर्देश दिया गया था कि वादी प्रभावित 86 परिवारों को उनकी भूमि के मुआवजे के लिए परिवर्तित भूमि पर 400/- प्रति वर्गफीट एवं अपरिवर्तित भूमि पर 375/- रूपए प्रति वर्गफीट मुआवजा दर उभयपक्ष की सहमति से तय किया गया था । भूमि पर बने भवन के मूल्यांकन के लिए मई 2013 में निर्मित कलेक्टर द्वारा जारी सर्किल रेट की गार्ड लाईन अनुसार मुआवजा दर तय किया गया ।

- 5- वादी का आगे अभिवचन है कि, त्रिपक्षीय वार्ता के निर्णय से 7 दिवस के भीतर वादी के पक्ष में भवन एवं भूमि स्वामी द्वारा हस्तांतरण के लिए एग्रीमेंट किए जाने का निर्देश था । इकरारनामा निष्पादित करने के पश्चात् 15 दिवस के अंदर भूमि के सभी वैध दस्तावेज भूमि भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश था। दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात तत्काल वादी के पक्ष में हस्तांतरण पत्र के निष्पादन किया, भूमि और भवन में स्थित वृक्ष, कुआँ, ट्यूबवेल आदि का मूल्य भी तत्काल हस्तांतरण के समय ही चेक से भुगतान किया जाना तथा भूमि भवन को खाली करने के लिए वादी संबंधित हितग्राही को सामान के परिवहन हेतु 20,000/- रूपए परिवहन राशि भुगतान करना, तय हुआ था । हस्तांतरणकर्ता अर्थात् भूमि भवन स्वामी के हस्तांतरण पत्र /विक्रय विलेख का स्टाम्प झूठी

पंजीयन शुल्क सहित सभी वैधानिक व्यय वादी कंपनी वहन करेगा। हस्तांतरण पत्र/विक्रय विलेख के पंजीयन के दो माह के भीतर हस्तांतरण अर्थात् भूमि भवन स्वामी, भूमि एवं भवन का खाली आधिपत्य वादी कंपनी को प्रदान करेगा।

शांतिनगर के प्रभावित 86 परिवारों में से 5 लोगों ने माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक रिट याचिका संख्या 27/2013 आर०ए०नारायण व अन्य विरुद्ध छ०ग० शासन व अन्य प्रस्तुत किया था। बाद में इस रिट याचिका को रिटकर्ताओं ने लिखित आवेदन देकर वापस लेने की अनुमति मांगी और निवेदन किया कि राज्य सरकार एवं बालको द्वारा प्रभावित लोगों के लिए त्रिपक्षीय वार्ता के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस आवेदन पर दिनांक 28-11-2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी थी।

- 6- वादी का आगे अभिवचन है कि, आर०ए०नारायण ने पुनः रिट याचिका क्रमांक 129/2017 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 08-05-2018 और 06-07-2018 को निराकरण करते हुए आदेश पारित किया कि उभयपक्ष त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 24-09-2013 की शर्तों से शासित होंगे। इस आदेश में त्रिपक्षीय समझौता इकरारनामा की तिथि गलती से 24-09-2013 के बजाए दिनांक 24-09-2014

टंकित हो गया था । इस त्रुटि को सुधारने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एमसीसी क्रमांक 447/2018 प्रस्तुत किया गया और टंकण की त्रुटि सुधार कर त्रिपक्षीय समझौता इकरारनामा दिनांक 24-09-2013 लिखा गया जो दोनों पक्षों पर बंधनकारी है ।

7- वादी का आगे अभिवचन है कि प्रतिवादी ने वाद भूमि खसरा नंबर 322/9 एवं 322/11 कुल रकबा 0.009 हे०/0.02 1/4 ए० भूमि से संबंधित अपने कागजात वादी कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया और भूमि को विक्रय के लिए कलेक्टर कोरबा से विधिवत अनुमति प्राप्त किया तथा वाद भूमि का मूल्य 15,08,854/- रूपए प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 26-08-2015 को विक्रय पत्र तैयार कराकर उसे हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया तथा उसी दिनांक को वादी के पक्ष में उपपंजीयक कोरबा के कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत करा दिया । प्रतिवादी को वादी ने प्रतिफल के रूप में अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के माध्यम से एचडीएफसी बैंक कोरबा के उनके खाते का चेक क्रमांक 000275 दिनांक 01.07.2014 रकम 5,71,039/- एवं चेक क्रमांक 000022, दिनांक 26-08-2015 रकम 9,37,815/- के माध्यम से संपूर्ण प्रतिफल रकम 15,08,854/- रूपए भुगतान किया । उक्त राशि को प्रतिवादी ने विक्रय प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर

लिया है। वादग्रस्त भूमि विक्रय पश्चात् राजस्व अभिलेखों में विधिवत नामांतरण होकर वादी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है।

- 8- वादी का आगे अभिवचन है कि दिनांक 26-08-2015 को विक्रय पत्र निष्पादन के तुरंत बाद भूमि और भवन का भौतिक आधिपत्य नहीं लिया था, क्योंकि त्रिपक्षीय वार्ता के अनुसार तय शर्तों से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के पत्र दिनांक 24-09-2013 में वर्णित शर्त जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 129/17 एवं एमसीसी क्रमांक 447/2018 आदेश दिनांक 08-05-2018 एवं 06-07-2013 में किया गया है, के अनुसार वादी दिनांक 24-09-2013 को किए गए समझौता इकरारनामा का पालन करने के लिए सद्भावनापूर्वक आचरण करते हुए प्रतिवादी को 02 माह का समय भूमि और भवन को खाली करते हुए रिक्त भौतिक आधिपत्य वादी को सौंपने के लिए प्रदान किया था। विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 के 02 माह के भीतर अर्थात् 26-10-2015 तक वादी को भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी द्वारा दे दिया जाना था, परंतु प्रतिवादी ने अभी तक वाद भूमि और भवन का रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान नहीं किया है। इसलिए वादी यह वाद, वादभूमि के रिक्त आधिपत्य तथा घोषणा और व्यादेश के लिए प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी ने दिनांक 24-

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक- 10A / 2020

09-2013 के त्रिपक्षीय समझौता करार का पालन नहीं किया है तथा भूमि का विक्रय करने के पश्चात् भूमि पर उसका आधिपत्य है। ऐसी दशा में भूमि का रिक्त आधिपत्य तथा घोषणा एवं व्यादेश के लिए यह वाद पेश है। वादी वादग्रस्त भूमि का स्वामी है। भूमि का लगान 0.10 पैसा है, जिसका 20 गुना 2.00 पैसा है। रिक्त भूमि आधिपत्य के लिए वाद का मूल्यांकन 2.00 पैसा है।

9- दिनांक 25-11-2021 को उपस्थिति के स्तर पर प्रतिवादी को अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, जो आज दिनांक तक प्रभावशील है। उसकी ओर से कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं है।

10- वादी के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गयी है, जिनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष दिया जा रहा है:-

क्र०	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी, प्रतिवादी से वाद भूमि खसरा नंबर- 322/09 एवं 322/11 कुल रकबा 0.009 हेक्टेयर/0.02 1/2 एकड़ भूमि जो ग्राम रिसदा प०ह०नं० 10, रा०नि०मं० कोरबा, तहसील व जिला कोरबा में स्थित है, का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है?	"प्रमाणित नहीं"
2	क्या वादी विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 के अनुसार वादभूमि का स्वामी है ?	"प्रमाणित नहीं"
3	क्या वादी स्थायी व्यादेश की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है?	"नहीं"

4	क्या वादी द्वारा त्रिपक्षीय समझौता का पालन नहीं किया गया है?	"हाँ"
5	क्या वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-11-2013 के पालन में प्रतिवादी के पुर्नवास की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है?	"हाँ"
6	सहायता एवं वाद व्यय ?	"कंडिका 19 अनुसार दावा निरस्त"

11- वादी ने अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रमोद कुमार नायक (वा०सा० क्र०

1) का मौखिक साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य

के रूप में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है-

क०	प्रदर्श	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
1	प्र०पी०- 1	बालको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत पति द्वारा अधिकार पत्र प्रमोद कुमार नायक के पक्ष में निष्पादित अधिकार पत्र दिनांक 01-09-2022 की मूल
2	प्र०पी०- 2	बालको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मुख्तियार आम के पक्ष में निष्पादित मुख्तियार आम दिनांक 18-02-2020
3	प्र०पी०- 3	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा वादी को प्रेषित पत्र दिनांक 22-11-2012 एवं प्रभावित हितग्राहियों की सूची की सत्यप्रति
4	प्र०पी०- 4	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा वादी को प्रेषित त्रिपक्षीय समझौता इकरारनामा की स्वीकृत शर्तों का पालन करने हेतु पत्र दिनांक 24-09-2013 की सत्यप्रति

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक- 10A / 2020

5	प्र०पी०- 5	माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर द्वारा रीट याचिका जनहित संख्या 129/2017 आदेश दिनांक 08-05-2018 के आदेश की सत्यप्रति
6	प्र०पी०- 6	माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर द्वारा एमसीसी क्र० 447/2018 आदेश दिनांक 06-07-2018 की सत्यप्रति
7	प्र०पी०- 7	प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 की मूल प्रति
8	प्र०पी०- 8	वाद भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज बी-1
9	प्र०पी०- 9	किश्तबंदी खतौनी पी-॥

- 12- वादी की ओर से दावा के अनुरूप तर्क करते हुए कहा गया है कि , प्रतिवादी ने वादभूमि से संबंधित कागजात वादी कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया है। वाद भूमि को विक्रय के लिए कलेक्टर कोरबा से विधिवत अनुमति प्राप्त किया तथा वादभूमि का मूल्य प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 26-08-2015 को विक्रय पत्र तैयार कराकर उसे हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया और उसी दिनांक को वादी के पक्ष में उप पंजीयक कोरबा के कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत करा दिया है । वादग्रस्त भूमि विक्रय पश्चात् राजस्व अभिलेखों में विधिवत नामांतरण होकर वादी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है । विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 के दो माह के भीतर वादी को भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी द्वारा दे दिया जाना था,

परंतु प्रतिवादी ने अभी तक वाद भूमि और भवन का रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान नहीं किया है । अतः वादी का दावा स्वीकार किया जावे ।

**-: सकारण निष्कर्ष :-**

**-: वाद प्रश्न क्रमांक- 01, 02 एवं 03 पर सकारण निष्कर्ष :-**

(सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है)

- 13- बालको कंपनी के द्वारा यह दावा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। बालको कंपनी के आम मुख्तियार अवतार सिंह के द्वारा बालको कंपनी की ओर से दावा पेश किया गया है । दावा प्रस्तुत दिनांक को उक्त आम मुख्तियार अवतार सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं था। उसकी ओर से उसके अधिवक्ता वकालतनामा के द्वारा उपस्थित हुए हैं। आम मुख्तियार अवतार सिंह प्रकरण में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है । वाद पत्र के समर्थन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा वाद पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं हुआ है ।

- 14- पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वाद भूमि को क्रय करने के आधार पर घोषणा, व्यादेश एवं वाद भूमि का कब्जा हेतु प्रतिवादी को बेदखल कर प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है । प्रकरण में वादी कंपनी की ओर से साक्षी के रूप में

प्रमोद कुमार नायक सहायक प्रबंधक (व०सा०1) के रूप में उपस्थित होकर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है और वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित किया है। इस साक्षी ने बताया है कि उसे इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बालको कंपनी की ओर से अधिकृत किया गया है, जो कि प्र०पी० 1 है। प्र०पी० 1 का दस्तावेज अधिकार पत्र है, जिसके तहत बालको कंपनी के डायरेक्टर द्वारा प्रमोद कुमार नायक (व०सा०1) को कंपनी की ओर से साक्ष्य व अन्य कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस साक्षी ने बताया है कि वाद भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 है, जिसके अनुसार दो माह के भीतर वाद भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी को वादी को सौंपना था। दिनांक 26-08-2015 के पंजीकृत विक्रय पत्र प्र०पी० 7 के अनुसार वाद भूमि को विक्रेता प्रतिवादी से क्रय किया है। क्रेता के रूप में जीवन कुमार मुखर्जी का नाम उल्लेखित है।

- 15- प्रकरण में जीवन कुमार मुखर्जी को साक्षी के रूप में वादी कंपनी की ओर से उपस्थित कराकर उसका मौखिक साक्ष्य तथा प्र०पी० 7 के दस्तावेज निष्पादन के संबंध में साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं कराया गया है। प्र०पी० 7 के

पंजीकृत विक्रय पत्र में यह उल्लेखित है कि विक्रय प्रतिफल की राशि चेक क्रमांक 000275 दिनांक 01-07-2014 रकम 5,71,039/- रूपए एवं दूसरा चेक क्रमांक 000022 दिनांक 26-08-2015 रकम 9,37,815/- रूपए के माध्यम से संपूर्ण रकम 15,08,854/- रूपए प्राप्त कर लिया है, का उल्लेख किया गया है ।

- 16- प्रमोद कुमार नायक (व०सा०1) ने अपने शपथ पत्रिय साक्ष्य की कंडिका 17 में यह कथन किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 के दो माह के भीतर दिनांक 26-10-2015 तक वाद भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी द्वारा दे दिया जाना था, परंतु प्रतिवादी ने अभी तक वाद भूमि का रिक्त आधिपत्य वादी कंपनी को प्रदान नहीं किया है । दिनांक 26-08-2015 के पंजीकृत विक्रय पत्र में पहला चेक का दिनांक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2016 के पूर्व दिनांक 01-07-2014 का है तथा द्वितीय चेक दिनांक 26-08-2015 का है । वादी कंपनी की ओर से उपरोक्त दोनों चेक प्रतिवादी द्वारा अपने खाते में आहरित कर लिया हो, ऐसा वादी कंपनी ने उक्त दोनों चेकों से संबंधित अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट प्रकरण में पेश कर प्रमाणित नहीं किया है । इस प्रकार से प्रकरण में प्रतिफल की राशि वादी के द्वारा दो चेकों द्वारा देना बताया गया है परंतु दोनों चेकों की राशि वास्तविक रूप से प्रतिवादी के खाते में आहरित होकर उसे प्रतिफल की राशि

प्राप्त हो चुकी है ऐसा प्रमाणित नहीं किया गया है । अर्थात् वादी द्वारा प्रतिफल की राशि प्रदान किया जाना , उक्त दोनों चेकों से संबंधित अपने बैंक खाते के स्टेटमेंट को पेश कर प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं कराया है जिसके अभाव में प्रकरण में प्रतिफल की राशि प्रतिवादी को वास्तविक रूप से प्रदान किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है ।

- 17- क्रेता जीवन कुमार मुखर्जी के पक्ष में प्रतिवादी से विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु कोई पावर आफ अटॉर्नी बालको द्वारा निष्पादित किया गया हो ऐसा दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किया गया है। जीवन कुमार मुखर्जी बालको में कार्यरत है व किस पद पर है, का कोई उल्लेख प्र०पी० 7 में नहीं है । व्यक्तिगत नाम से क्रय करना प्रतीत हो रहा है । अतः उपरोक्त कारणों से वादी का दावा प्रमाणित नहीं होता है। अतः वादी वाद भूमि खसरा नंबर 322/9 एवं 322/11 कुल रकबा 0.009 हे०/0.02 1/4 का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता है । वादी पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-08-2015 के अनुसार वाद भूमि के स्वत्व घोषित कराने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः वादी किसी प्रकार से व्यादेश की सहायता भी

प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है । अतः वादप्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।

-: वाद प्रश्न क्रमांक- 04 एवं 05 पर सकारण निष्कर्ष :-

(सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है)

- 18- प्रमोद कुमार नायक (व०सा० 1) ने त्रिपक्षीय समझौता का पालन करने के संबंध में तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-11-2013 के पालन में प्रतिवादी के पुनर्वास की कोई व्यवस्था किया गया हो, के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है तथा इस संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है । अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी द्वारा त्रिपक्षीय समझौता का पालन किया गया है, यह भी प्रमाणित नहीं होता है । वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-11-2013 के पालन में प्रतिवादी के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गयी हो। ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है । अतः वादप्रश्न क्रमांक 04 एवं 05 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।

-: वाद प्रश्न क्रमांक-06 सहायता एवं वाद व्यय :-

- 19- उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष तथा आलेख पर आए समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी कंपनी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक- 10A / 2020

रहा है, इसलिए वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी

का वाद अस्वीकार कर निम्नलिखित आज्ञासि पारित की जाती है, कि :-

- 1- वादी का दावा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।
- 2- उभय पक्ष अपना-अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।
- 3- अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर, या परिशिष्ट के अनुसार जो भी कम होगा देय होगा।

20- तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

21- प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि के भीतर प्रकरण अभिलेखागार में

जमा हो।

स्थान – कोरबा  
दिनांक-28.08.2023

निर्णय मेरे निर्देशन में टंकित किया गया है।

सही/-

(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)  
प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोरबा  
जिला-कोरबा (छ.ग.)